



2026:AHC-LKO:19345

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या - 1694 वर्ष 2026

राहुल सिंह

....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ एवं एक अन्य

....विरोधी पक्ष (गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : लक्ष्मी कांत त्रिपाठी, नवनीत यादव

विरोधी पक्ष (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-12

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

माननीय न्यायमूर्ति पंकज भाटिया

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान आवेदन वर्ष 2019 के वाद संख्या 9224 (राज्य बनाम राहुल सिंह एवं अन्य), जो कि वर्ष 2019 के अपराध संख्या 42, थाना रानीपुर, जनपद बहराइच से उत्पन्न हुआ है, की समस्त कार्यवाही को निरस्त किए जाने हेतु तथा दिनांक 28.05.2019 के समन आदेश को निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार यह आरोप लगाया गया कि आवेदक सहित सभी अभियुक्तगण ने सूचनाकर्ता के पुत्र को चोटें पहुंचाई। तत्पश्चात आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया तथा उक्त आरोपपत्र में भारतीय दंड संहिता की धारा 308 जोड़ी गई। तत्पश्चात विवेचना अधिकारी द्वारा पुनः चिकित्सीय परीक्षण हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे दिनांक 07.08.2019 के आदेश द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। उक्त दिनांक 07.08.2019 के आदेश को इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1134/2019 में चुनौती दी गई, जिसे दिनांक 29.08.2019 के आदेश द्वारा इस निर्देश के साथ निस्तारित किया गया कि संबंधित प्राधिकारी चिकित्सीय आख्या को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। चिकित्सा बोर्ड ने दिनांक 11.10.2019 को अपनी आख्या प्रस्तुत की, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि कोई अस्थि-भंग नहीं पाया गया। विवेचना अधिकारी द्वारा अनुवर्ती चिकित्सीय आख्या के आलोक में संज्ञान आदेश में संशोधन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 24.02.2020 के आदेश के माध्यम से अस्वीकृत कर दिया गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अनुवर्ती चिकित्सीय परीक्षण के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय को विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 308 के अंतर्गत संज्ञान नहीं लेना चाहिए था।

5. अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनित तथ्यों के आधार पर प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2019 के आदेश के माध्यम से पूर्व में ही संज्ञान ले लिया गया था। यद्यपि आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1134/2019 में पारित आदेश में चिकित्सीय आख्या को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे तथा उक्त निर्देश के अनुपालन में आख्या प्रस्तुत भी की गई, विचारण न्यायालय के पास संज्ञान आदेश को वापस लेने का कोई अधिकार/अधिकारिता नहीं थी, क्योंकि धारा 308 जोड़े जाने के कारण यह वाद सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था। भारतीय दंड संहिता की धारा 308 के अंतर्गत उन्मोचन से संबंधित प्रश्न पर विचार केवल संज्ञान लेने के पश्चात तथा वाद के सत्र न्यायालय को अभिसंपन्न किए जाने के बाद ही किया जा सकता है अतः आवेदक के लिए यह अनिवार्य है कि वह विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे तथा वाद के सत्र न्यायालय को अभिसंपन्न किए जाने के उपरांत, आवेदक संकलित साक्ष्यों, जिनमें दिनांक 11.10.2019 की अनुवर्ती चिकित्सा बोर्ड की आख्या भी सम्मिलित है, के आधार पर उन्मोचन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार रखता है।

6. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान आवेदन इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि यदि आवेदक आज से चार सप्ताह के भीतर जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है, तो उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और**

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अन्य, (2021) 10 एससीसी 773 में दर्ज प्रकरण में प्रतिपादित विधि के अनुसार सख्ती से विचार कर निर्णय लिया जाएगा।

7. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जब वाद को सत्र न्यायालय के समक्ष अभिसंपन्न कर दिया जाएगा, तब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 के प्रावधान के अनुसार, मजिस्ट्रेट द्वारा वाद को सत्र न्यायालय को अभिसंपन्न किए जाने के पश्चात आवेदक को उन्मोचन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

8. चार सप्ताह की अवधि तक आवेदक के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

9. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदन *निस्तारित* किया जाता है।

17 मार्च, 2026

एकेवर्मा

[न्यायमूर्ति पंकज भाटिया]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।